न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–इन्दौर

1– श्रीमती हंसल देवी पत्नी पुण्यपाल सुराणा

2– अर्पित पुत्र श्री पुण्यपाल सुराणा

निवासीगण– 24–बी बिल्डर्स कॉलौनी इन्दौर जिला – इन्दौर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

राजेश जैन (हिन्दू अविभाजित परिवार) तर्फेकर्ता राजेश पुत्र स्व. श्री ऋषभ कुमार जैन निवासी–8, साकेत नगर इन्दौर जिला – इन्दौर (म.प्र.)

..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 308-दो/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09.06.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन आवेदन–पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा अपर तहसीलदार, इन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 178 सहपठित धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दूधिया, तहसील व जिला इन्दौर में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 21/2, 22/2, 37/2, 56/2, 21/1, 22/1, 37/1 व 56/1 पूर्व भूमिस्वामी से पंजीकृत विकयपत्र द्वारा कय की गयी है।

2. यहकि, अनावेदक द्वारा माननीय नवम सिविल जज महोदय, वर्ग–2, इन्दौर के न्यायालय में हक दीवानी वाद कमांक 24–ए/07 इस आशय से प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामित्व की उपरोक्त भूमि उसके द्वारा चन्दरसिंह पिता प्रेमसिह से पंजीकृत विकयपत्र के माध्यम से सम्पूर्ण कृषि भूमि कय कर ली है तथा कब्जा प्राप्त कर लिया है। इस प्रस्तुत वाद का जबाव आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा बताया गया था कि अनावेदक के विकयपत्र में उसे केवल 1/3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3873––पीबीआर/15 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–3–2016	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 308–दो/2014 में पारित आदेश दिनांक 09–06–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया हैं उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । अध्यक्ष	